

Filing no. RCS-A/405/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 96 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filing no. RCS-A/405/2017

CNR no. MP30010037782017

सिविल वाद क्रमांक 96 ए/2017

संस्थित दिनांक :-12/07/2017

मोहम्मद इरशाद पुत्र अमीनुद्दीन खाँ, उम्र-42 वर्ष,
निवासी-मकान नंबर 36 सरकारी इमामबाड़ा, वार्ड नंबर 18,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)वादी/आवेदक

//बनाम//

1. अमीनुद्दीन खाँ पुत्र रहीम खाँ, उम्र-72वर्ष,
निवासी-सरकारी इमामबाड़ा, वार्ड नंबर 18,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)
2. निसार पुत्र अमीनुद्दीन खाँ, उम्र-52 वर्ष,
निवासी-सरकारी इमामबाड़ा, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
वर्तमान पता-रामाजी का पुरा लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)
.....प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री रामवीर सिंह भदौरिया।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री रूपेश कुमार शर्मा अधिवक्ता।

//आदेश//

(आज दिनांक **26.04.2018** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में मोहल्ला सरकारी इमामबाड़ा, वार्ड नंबर 18, जिला-भिण्ड स्थित 22 गुणा 60 वर्गफीट के मकान चतुर्सीमा पूरब में दरवाजा व गली, पश्चिम में शांतिस्वरूप दीक्षित का मकान, उत्तर में मकबूल खाँ का मकान, दक्षिण में छोटेलाल मिश्रा का हॉस्पिटल (एतस्मिन् पश्चात् **“विवादित मकान”** से निर्दिष्ट) पर स्वत्व की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. वादी का आवेदन यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 निसार ने दिनांक 25.02.2005 को वादी से 15,000/-रुपये प्राप्त कर विवादित मकान में अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया था। इसके बाद वादी ने 3,50,000/-रुपये लागत मकान का निर्माण कराया और आवासयोग्य बनाया। विवादित मकान में किसी प्रकार का विवाद न हो, इस उद्देश्य से पिता प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 22.07.2005 को एक व्यवस्था पत्र निष्पादित किया जिसमें यह तय हुआ कि यदि पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 विवादित मकान में अपना हिस्सा मांगता है तो उसे वादी को 15,000/-रुपये व निर्माण कार्य में वादी द्वारा लगाई गई लागत ब्याज सहित वापस करनी होगी और यदि पिता प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित मकान का विक्रय करता है तो उसे भी उक्त सम्पूर्ण राशि वादी को वापस करनी होगी। प्रतिवादीगण उक्त अनुबंध/व्यवस्था पत्र के विपरीत कार्य करने से प्रतिबंधित हैं और उन्हें वादी के आवास में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण को नोटिस भेजी, जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादीगण विवादित मकान पर वादी के हक व हित को नकारने लगे हैं और दिनांक 05.07.2017 को प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे अपना हिस्सा विक्रय कर देंगे। उक्त तथ्यों के आधार पर यह सिविल वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है, विवादित मकान के किसी भी अंश का विक्रय हो जाने की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित मकान के विक्रय या अन्यथा हस्तांतरण पर रोक लगायी जाये।

4. प्रतिवादीगण का जवाब यह है कि विवादित मकान जिस भूखण्ड पर बना है, वह भूखण्ड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.05.1972 से प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कय किया है और मकान का निर्माण भी प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपनी कमाई से करवाया है। विवादित मकान पर वादी का कोई स्वत्व नहीं है, पुत्र होने के नाते वादी एक कमरे में निवास अवश्य करता है परन्तु वादी के पक्ष में कोई स्वत्व सृजित नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा विवादित मकान में अपना हक छोड़ने या वादी द्वारा अपनी कमाई से विवादित मकान का निर्माण कराने का तथ्य असत्य है और दिनांक 22.07.2016 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कोई अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं किया है। वास्तव में प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने पुत्रों के निवास के लिए विवादित मकान में अलग-अलग व्यवस्था लिखत दिनांक 22.02.2005 से की जिसमें यह शर्त थी कि उसके चारों पुत्र उसके व उसकी पत्नी के भरण-पोषण व खाने-कपड़े की व्यवस्था करेंगे परन्तु वादी व उसके भाई इसाक ने प्रतिवादी क्रमांक 1 व उसकी पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया तब प्रतिवादी क्रमांक 1 ने लिखत दिनांक 22.07.2016 से पूर्व की लिखत दिनांक 22.02.2005 निरस्त कर दी। वादी ने कथित व्यवस्था पत्र दिनांक 22.07.2016 फर्जी व कूटरचित तैयार कर लिया है, विवादित मकान में वादी का कोई हक नहीं है और वादी के पक्ष में कोई मामला न होने से अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:—

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

—: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार :—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. वादी की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के समर्थन में प्रतिवादी को प्रेषित नोटिस व अनुबंध पत्रों की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादी की ओर से आरिफ खाँ, नसीर मोहम्मद का शपथपत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.05.1972 की छायाप्रति और विवादित मकान का बिजली-बिल प्रस्तुत किया गया है।

7. प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.05.1972 की छायाप्रति से यह प्रकट है कि विवादित मकान व उससे सम्पृक्त भूखण्ड प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 17.05.1972 को निष्पादित दो अलग-अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है। इस प्रकार विवादित मकान व उससे सम्पृक्त भूखण्ड प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है।

8. वादपत्र के अभिवचन में मुख्य आधार यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के चार पुत्रों में से एक पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 ने वादी से 15,000/-रुपये नगद प्राप्त कर विवादित मकान में अपना हक वादी के पक्ष में छोड़ दिया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पक्षकार मुस्लिम विधि से शासित हैं, पिता प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति पर पुत्र वादी या प्रतिवादी क्रमांक 2 का कोई निहित हक नहीं है और वादी ने यह अभिवचन नहीं किया है कि विवादित मकान पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 2 का हित कैसे निहित हुआ।

9. मुस्लिम विधि में पिता के जीवनकाल में पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति पर पुत्रों का कोई निहित हित नहीं होता है और कथित व्यवस्था पत्र दिनांक 22.07.2016 से भी वादी का हक न तो सृजित होता है और न ही प्रतिवादी क्रमांक 2 का हक समाप्त हो जाता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व के भूखण्ड पर पुत्र वादी द्वारा मकान निर्माण की दशा में भी विवादित मकान पर वादी का स्वत्व नहीं माना जा सकता है और वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं है।

10. विवादित मकान व उससे सम्पृक्त भूखण्ड प्रतिवादी क्रमांक 1 ने क़य किया है, मुस्लिम विधि के सिद्धान्तों के अनुसार विवादित मकान पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में पुत्र वादी या अन्य पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 का कोई निहित हक़ नहीं है और प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के भी कोई आधार नहीं है। वादी का यह अभिवचन है कि विवादित मकान का निर्माण वादी ने कराया, किन्तु इस आधार पर भी वादी के पक्ष में विवादित मकान पर स्वत्व सृजित नहीं होते हैं और यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित मकान में विद्युत कनेक्शन भी प्रतिवादी क्रमांक 1 अमीनुद्दीन खाँ के नाम पर ही है।

11. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में नहीं है, ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति भी वादी के पक्ष में नहीं माना जा सकता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)	(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड	द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)	(म0प्र0)